न्यायालय प्रभारी प्रथम अपर सिविल जज, सी0डि0/ए0सी0जे0एम0 देहरादून।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 561/2026
अजय सजवाण बनाम राज्य

प्रार्थी/अभियुक्त–अजय सजवाण

मु0अ0सं0–326/2025
अन्तर्गत धारा– 318(4), 336(3), 338,
340(2), 61 बी0एन0एस0
थाना–रायपुर, देहरादून।

अभियुक्त की ओर से : श्री नितिन कुमार गुप्ता, एडवोकेट,
राज्य की ओर से : श्रीमती फोजिया बेगम, अभियोजन अधिकारी

दिनांक 04.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त अजय सजवाण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 326/2025 अन्तर्गत धारा– 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61 बी0एन0एस0 थाना रायपुर, देहरादून प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षिप्त में अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 483 के अंतर्गत दाखिल की गयी है, जिसमें पुलिस स्टेशन रायपुर, जिला देहरादून में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61 के अंतर्गत दर्ज एफ0आई0आर0 संख्या 326/2025 के संबंध में जमानत की रिहाई की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है, पिछले एक सप्ताह से बिना किसी अपराध के हिरासत में है। प्रार्थी पूरी तरह निर्दोष है और उसे सह–आरोपी प्रदीप सकलानी के साथ काम करने के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन कथनाक के अनुसार प्रार्थी की ओर से किसी प्रकार की सहभागिता, अपराधिक मंशा, अपराधिक षडयंत्र व बेईमानी का इरादा नहीं है। एफ0आई0आर0 में लगाये गये आरोप मुख्य रूप से वादी मुकदमा और सह–अभियुक्त प्रदीप सकलानी और अभय कुमार के मध्य कथित वित्तीय लेन–देन और संपत्ति संबंधी सौदो से सम्बन्धित हैं। प्रार्थी का ऐसे किसी भी लेन–देन से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी केवल सह–अभियुक्त प्रदीप सकलानी के अधीन चालक के रूप में कार्यरत था और उसका कर्तव्य नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार वाहन चलाना ही था। प्रार्थी ने कथित लेन–देन से संबंधित किसी भी बातचीत में भाग नहीं लिया और न ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। मुख्य आरोपी के अधीन मात्र उपस्थिति या रोजगार स्वतः ही आपराधिक दायित्व को आकर्षित नहीं करता, जब तक कि आरोपी व्यक्ति पर

विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्यों का आरोप न लगाया जाए। एफ0आई0आर0 में ऐसा कोई आरोप नहीं है, जिससे यह जानकारी मिले कि आवेदक के बैंक खाते में कोई धनराशि जमा की गई थी या उसके माध्यम से हस्तांतरित की गई थी। यह साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है कि प्रार्थी को कथित घटना से कोई वित्तीय लाभ या गैर कानूनी फायदा मिला हो। इस प्रकार, प्रार्थी के विरूद्ध धोखाधड़ी, कपटपूर्ण प्रलोभन या बेईमानी से धन के गबन के सभी आवश्यक तत्व पूरी तरह से अनुपस्थित है। प्रार्थी न तो किसी विक्रय समझौते, अधिकार पत्र, शपथपत्र, रसीद या वादी मुकदमा और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के बीच कथित रूप से निष्पादित किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षरकर्ता, गवाह, लाभार्थी या निष्पादक है। प्रार्थी की कथित दस्तावेजों की तैयारी, निष्पादन, सत्यापन या प्रतिनिधित्व में कोई भूमिका नहीं थी। प्रार्थी ने कभी भी वादी मुकदमा या किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वयं में मालिक, अर्टानी धारक या अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। सम्पत्ति या कथित लेन–देन के सम्बन्ध में कोई आरोप नहीं है कि प्रार्थी ने वादी मुकदमा को धन या सम्पत्ति देने के लिए प्रेरित किया। इसलिए प्रार्थी को हिरासत में रखना या आपराधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग और कानून का दुरूपयोग होगा।प्रार्थी के कब्जे से कोई जाली दस्तावेज, नकद राशि, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कोई अन्य वस्तु बरामद नहीं हुई, यदि कोई बरामदगी होनी है तो वह मुख्य आरोपी से की जायेगी। सह–अभियुक्त प्रदीप सकलानी और मुख्य अभियुक्त अभय कुमार ने वादी मुकदमा के साथ वित्तीय और सम्पत्ति सबंनधी लेन–देन करने का आरोप है। सक्रिय संलिप्तता दर्शाने वाले किसी ठोस सबूत के अभाव में अधीनस्थ कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक कानून का अंधाधुध प्रयोग नहीं किया जा सकता। मुख्य आरोपी अभय कुमार को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 1219/2025 में दिनांक 18.11.2025 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सभी कथित मौद्रिक लेन–देन केवल उक्त अभियुक्त अभय कुमार के बैंक खातों के माध्यम से किए गए थे और वर्तमान प्रार्थी के बैंक खाते में एक भी लेन–देन दर्ज नहीं हुआ है। वादी मुकदमा से कथित रूप से प्राप्त कोई भी धनराशि कभी भी प्रार्थी के खाते में स्थानान्तरित, जमा, भेजी या क्रेडिट नहीं की गई। संपूर्ण वित्तीय रिकॉर्ड और दस्तावेजी साक्ष्य सामग्री, बैंक रिकार्ड और कथित लेन–देन का संबंध मुख्य अभियुक्त अभय कुमार से है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान कर दिया है। प्रार्थी पेशे से केवल एक

ड्राईवर है और उसने कथित लेन–देन में न तो भाग लिया है और न ही उससे कोई वित्तीय लाभ प्राप्त किया है। प्रार्थी दिए गए पते का स्थायी निवासी है एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता है और समाज में उसकी अच्छी साख है। प्रार्थी के फरार होने की संभावना नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दत्ताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य(2018) 3 एससीसी 22 में अवधारित किया है कि जमानत देना नियम है और कारावास अपवाद है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संजय चंद्र बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो(2012) 1 एससीसी 40 मामले में यह अवधारित किया है कि जमानत का उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक और किसी भी आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य(2014) 8 एससीसी 273 मामले में यह अवधारित किया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा अनावश्यक गिरफ्तारी की निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि गिरफ्तारी यांत्रिक प्रकृति की नहीं होनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य(2022) 1 एससीसी 676 मामले में यह अवधारित किया है कि किसी अपराध के संज्ञेय और दंडनीय होने मात्र से गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्धारित प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा और इस न्यायालय द्वारा लगाई सभी शर्तो का पालन करेगा। अतः प्रार्थना की गई कि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाय।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय–निर्णयन Priti Saraf Vs State of Nct of Delhi on 10 March 2021 प्रस्तुत की गयी, जिसका सस्म्मान अवलोकन किया गया।

4. अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर आहुत की गयी पुलिस आख्या में यह कथन किया गया है कि वादी विक्रम सिंह पुत्र स्व0 फूल चन्द्र निवासी विकास लोक कालोनी, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून ने अपने बयान में बताया है कि अभियुक्त अजय सजवान उसकी पत्नी कविता का धर्म भाई है तथा उसी के माध्यम से उसकी मुलाकात सहअभियुक्त अभय कुमार से हुई थी। अभियुक्त अजय सजवान प्रारम्भ से ही सम्पूर्ण भूमि की प्रक्रिया में सम्मिलित रहा तथा दिनांक 23.12.2024 को अनुबन्ध पत्र के निष्पादन के समय देहरादून न्यायालय परिसर एवं बाद में कैनाल रोड, जाखन स्थित कार्यालय में अभियुक्त अजय सजवाण अभय कुमार एवं प्रदीप सकलानी उपस्थित थे।

वादी द्वारा यह भी बताया गया कि अभियुक्त अजय सजवान, अभय कुमार एवं प्रदीप सकलानी ने संयुक्त रूप से ग्राम सोडा सिरौली स्थित भूमि को अपने परिचित व्यक्तियों की भूमि बताते हुए तथा स्वयं को भूमि विक्रय हेतु अधिकृत बताकर वादी एवं उसके साथियों को विश्वास में लिया तथा 1,60,00,000/– मूल्य की भूमि का सौदा तय कराया। उक्त अनुबन्ध के आधार पर वादी पक्ष से कुल 30,00,000/–रु0 बयाना प्राप्त किया गया जिसमें 25,00,000/–रु0 बैंक खातों के माध्यम से तथा 5,00,000/–रु0 नकद प्राप्त किये थे। बाद में जांच में पाया गया कि जिन व्यक्तियों को भूमि स्वामी बताया गया था वे वास्तव में भू स्वामी नहीं थे तथा वास्तविक भू स्वामी द्वारा अभियुक्तों को भूमि विक्रय हेतु कोई अधिकार अथवा प्राधिकरण प्रदान नहीं किया गया था। विवेचना के दौरान प्राप्त बैंक अभिलेखों के के अवलोकन से अभियुक्त अजय कुमार एवं सह–अभियुक्त अभय कुमार के मध्य निरंतर वित्तीय लेन–देन होना पाया गया। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अजय कुमार द्वारा विभिन्न तिथियों पर सह–अभियुक्त अभय कुमार के खाते में कुल 1,49,500/–रु0 स्थानान्तरित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदीप सकलानी उसके पारिवारिक सदस्यों एवं अभियुक्त अजय कुमार के मध्य भी लगातार वित्तीय लेन–देन होना पाया गया। उपलब्ध बैंक विवरणों के अनुसार अभियुक्त अजय कुमार के खातों में प्रदीप सकलानी व उसके परिजनों से कुल रूपये 1906871/–रु0 की धनराशि क्रेडिट होना तथा 192300/–रु0 की धनराशि डेबिट होना पाया गया। अभियुक्त के फेडरल खाते में दिनांक 15.01.2026 से 21.05.2026 तक कुल 172255/–रु0 केडिट तथा 174390/–रु0 डेबिट होना पाया गया। इस प्रकार यूको बैंक खाता सं0 00750110059791 में दिनांक 10.10.2024 से 17.05.2026 तक कुल 29,13,122/–रु0 केड्रिट तथा 29,13052/–रु0 डेबिट होना पाया गया। उक्त वित्तीय लेन–देन अभियुक्तों के मध्य निकट आर्थिक सम्बन्ध एवं आपसी सम्बन्ध को दर्शाते है। अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में स्वयं को मात्र ड्राईवर बताते हुए घटना से असंबंध दर्शाने का प्रयास किया गया है जबकि वादी के बयान बैंक अभिलेखों एवं अन्य संकलित साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया अभियुक्त की सक्रिय भूमिका परिलक्षित होती है। वर्तमान प्रकरण में अपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी एवं कूट रचना के गंभीर आरोप है तथा विवेचना के दौरान प्रश्नगत दस्तावेजों को हस्तलेख एवं हस्ताक्षर परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। उपलब्ध साक्ष्यों, अभियुक्त की भूमि, वित्तीय लेन–देन एवं प्रकरण की

गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त अजय कुमार उर्फ अजय सजवान का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि मु0अ0सं0 326/25, धारा–318(4), 336(3), 338, 340(2), 61 बी0एन0एस0 में अभियुक्त अजय कुमार उर्फ अजय सजवान न्यायिक अभिरक्षा में है। सम्बन्धित थाने की विस्तृत आख्या संलग्न है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध दो अन्य मुकदमें पंजीकृत है। अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध गंभीर एवं अजमानतीय प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र का का विरोध किया जाता है।

6. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना तथा इस स्तर पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रो का अवलोकन किया।

7. प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 15.10.2025 के अनुसार अभियुक्तगण अभय कुमार, प्रदीप सकलानी एवं अजय सजवाण के द्वारा प्रार्थीगण/वादी मुकदमा के साथ छल व धोखाधड़ी कर एक कूटरचित अनुबन्ध पत्र बनाकर अभय कुमार द्वारा स्वयं को विभिन्न भूमि को विक्रय करने हेतु अधिकृत बताकर अज्ञात भूस्वामियों की भूमि प्रार्थीगण/वादी मुकदमा को बेचने के एवज में तीस लाख रूपये प्राप्त किये और उक्त पैसो की वापसी की मांग पर उक्त रकम वापसी हेतु प्रदीप सकलानी द्वारा दिये गये चैक अनाद्रित हो गये। अभियुक्त अजय सजवान, अभय कुमार एवं प्रदीप सकलानी के द्वारग्राम सोडा सिरौली स्थित भूमि को अपने परिचित व्यक्तियों को जमीन दिलाने का आश्वासन देकर मूल भू स्वामियों से स्वयं को भूमि विक्रय करने हेतु अधिकृत बताकर प्रार्थीगण से भूमि का विक्रय मूल्य 1,60,00,000/– मूल्य में तय पाकर मु0 30,00,000/–रु0 बयाना राशि एक कूटरचित अनुबन्ध पत्र 23.12.2024 अंकित किया जिसमें इन्होंने स्वयं को भूमि विक्रय करने हेतु अधिकृत बताया जबकि वास्तविक भू–स्वामियों के द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु अभय कुमार, प्रदीप सकलानी एवं अजय सजवाण को न ही अधिकृत किया है और न ही उक्त भूमि बिकाउ है। इन सबने कूटरचित अनुबन्ध पत्र दिनांक 23.12.2024 अंकित कर प्रार्थीगण से 30,00,000/–रु0 ठग लिये जाने का कथित अभियोग है।

8. प्रार्थी/अभियुक्त का रिमाण्ड दिनांक 22.05.2026 को स्वीकार किया गया है एवं इस स्तर पर अभियुक्त के विरूद्ध मामला अभी अन्वेषण की आरम्भिक चरण में है, जिसमें सम्पूर्ण साक्ष्य का संकलन किया जाना है एंव मामले में आरोप पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति एवं अजमानतीय है और पुलिस आख्या के अनुसार अभियुक्त अजय सजवाण के विरूद्ध दो अन्य मुकदमे पंजीकृत है, जिसकी प्रति उनके द्वारा संलग्न की गयी है।

9. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये गये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का कोई यथोचित आधार प्रतीत नहीं होता है तथा अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है–

<u>आदेश</u>

10. प्रार्थी/अभियुक्त अजय सजवाण की ओर से प्रस्तुत वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

11. आदेश की प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को निःशुल्क को प्रदान की जाय।

12. चूंकि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, अतः उत्तराखण्ड क्रिमनल कोर्ट प्रोसिजर प्रेक्टिस रूल 2021, नियम 33 (यथा संशोधन) के अनुक्रम में कार्यालय को आदेशित किया जाता है, कि निरूद्ध अभियुक्ता को, जरिये जेल अधीक्षक, जमानत प्रार्थनापत्र व आदेश की प्रति प्राप्त कराये जाने हेतु, प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

प्रभारी अधिकारी
प्रथम अपर सिविल जज, सी0डि0/
ए0सी0जे0एम0
देहरादून।